ई–मेल

संख्या–537/आठ–3–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **आयुक्त,**
समस्त मण्डल,
उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
5. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
6. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 14 मार्च, 2023**

विषयः–सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किये जाने से अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु "Call Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया देश में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किये जाने के दौरान उन स्थानों पर पहले से विद्यमान अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से आर्थिक क्षति, नागरिकों को असुविधा तथा अन्य हितधारकों को होने वाली व्यवसायिक हानि से बचाव के लिए उत्खनन करने वाली संस्था और अवस्थापना/यूटिलिटी सम्पत्तियों के धारक के मध्य समन्वय हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये "Call Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के उपयोग संबंधी विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 के पत्र संख्या–376/78–1–2023–1099/722/2019 एवं उसके साथ संलग्न डी0डी0जी0, राष्ट्रीय बाडबैण्ड मिशन, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–3–1/2022–एन.बी.एम. दिनांक 29.12.2022 **(अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु "Call Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–540/आठ–3–2023 दिनांक 14.03.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा भारत सरकार एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के उक्त अनुरोध के अनुक्रम में "Call

Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के संचालन हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से एडमिन/नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसी भी प्रकार के उत्खनन हेतु स्वीकृति प्रदान करते समय "सार्वजनिक स्थानों/मार्गों" का उत्खनन आरम्भ करने से पूर्व स्थल की सूचना CBud ऐप पर उपलब्ध कराने हेतु उत्खनन करने वाली संस्था को 'स्वीकृति पत्र' में ही निर्देशित करने का कष्ट करें तथा CBud सक्रिय हो जाने के पश्चात सभी उत्खनन संस्थाओं को किसी भी प्रकार के उत्खनन का कार्य केवल "Call Before u Dig" मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्व सूचना के बाद और उसके नियमों और शर्तो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या–537(1)/आठ–3–2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) डी0डी0जी0, राष्ट्रीय बाडबैण्ड मिशन, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

14.3.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव